राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–555/2014

प्रमोद कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
2. सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. टर्जरी ऑफिसर, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 01.04.1996 को हुई थी। अपीलार्थी के तीसरी संतान की उत्पत्ति दिनांक 26.03.2005 को हुई थी। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 से नियमों में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा है कि जहां किसी व्यक्ति के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान हुई है तो वह व्यक्ति पदोन्नति पर उस तारिख से जिस तारिख को उसको पदोन्नति देय है, से 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि चयनित वेतनमान पदोन्नति के स्थान पर देय होता है। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 11.04.2005 से देय था, परंतु उससे पूर्व अपीलार्थी के तीसरी संतान की उत्पत्ति होने के कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमान क लाभ 5 वर्ष तक नहीं दिया गया। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 11.04.2005 के स्थान पर दिनांक 11.04.2010 को प्रदान किया गया, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 12.08.2013 (अनुलग्नक–2) पारित किया गया है। तत्पश्चात आदेश दिनांक 07.05.2014 के द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:–

   ''वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.14(88)वित्त/नियम/2008–। एवं ।। दिनांक 31.12.2009 के नियम बिन्दु संख्या 8(।।।) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात संतान की संख्या 02 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं है।''

2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 07.05.2014 को चुनौती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में वो ही नियम लागू होते हैं, जो पदोन्नति के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे में जब पदोन्नति के लिए केवल 5 साल तक के लिए विचार नहीं किये जाने का प्रावधान है तो चयनित वेतनमान के लिए भी वहीं प्रावधान लागू होंगे। चयनित वेतनमान देय नहीं होना गलत रूप से माना गया

है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 07.05.2014 से वित्त विभाग के मेमोरेण्डम 31.12.2009 का हवाला है। जिस आधार पर अपीलार्थी को एसीपी/चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना माना गया। जबकि उक्त मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है, बल्कि उक्त मेमोरेण्डम में यह प्रावधान है कि पदोन्नति के संबंध में लागू नियम एसीपी के लिए भी लागू होंगे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा तीसरी संतान के जन्म की सूचना नहीं दिये जाने के कारण पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 11–4–2005 से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23–5–2005 द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी का दायित्व था कि तीसरी संतान की सूचना विभागाध्यक्ष को देते, ताकि राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना की जाती लेकिन अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर दुराचरण किया गया। जिसकी वजह से, तत्समय देय न होते हुए भी प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 4–4–2013 द्वारा तीसरी संतान के जन्म की सूचना प्रत्यर्थी विभाग को दिये जाने पर उसको पूर्व में स्वीकृत प्रथम चयनित वेतनमान को निरस्त करते हुए प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 13–12–2009 की सही व्याख्या नहीं किये जाने के कारण दिनांक 11–4–2010 से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2013 द्वारा एसीपी स्वीकृत की गयी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए छटे वेतन आयोग में चयनित वेतनमान के स्थान पर आश्वासित कैरियर प्रगति लागू की गयी जो पदोन्नति की ऐवज में नहीं है क्योंकि इसमें पदोन्नति वाली ग्रेड पे देय नहीं है। दिनांक 31–12–2009 के अनुसार दिनांक 1–6–2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर आश्वासित कैरियर प्रगति स्वीकृति योग्य नहीं है। वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम दिनांक 31–12–2009 के नियम बिन्दु संख्या– 8 (iii) में निम्न प्रावधान है :–

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from employee to having only two children on or after 1-6-2002 prior to granting ACP. But the employee having more than 2 children shall not as be deemed to have been disqualified. So long as the number of children he/she has on 1-6-2002, does not increase."

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से कथन किया गया है कि दिनांक 1–6–2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर आश्वासित प्रगति स्वीकृति के प्रकरण में राज्य सरकार जरिये वित्त विभाग के पत्र दिनांक 12–2–2014 के अनुसार दिनांक 1–6–2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर स्वीकृत किया गया, ए.सी.पी. नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12–8–2013 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 11–4–2010

से स्वीकृत प्रथम ए.सी.पी. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 7–5–2014 द्वारा निरस्त की गयी ।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के मद संख्या 8 एवं 9 में निम्न प्रावधान है :–

(8) (i) The financial upgradation would be on non-functional basis subject to satisfactory service record.

(ii) In case of employee who could not be granted selection grade / ACP due to his unsatisfactory record, he will be granted ACP from the date he becomes eligible for promotion to the higher post on the basis of satisfactory service record subject to the fulfillment of other conditions prescribed in this regard.

(iii) The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. But the employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he / she has on 01.06.2002, does not increase.

(9) In the matter of disciplinary / penalty proceedings, grant of benefit under the ACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 and instructions issued thereunder.

5. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10159/2015 परबत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

The relevant clause no.3 of the circular/ notification dated 20.6.2001 is reproduced herein below for the sake of ready reference :-

"3. Amendment :- After the existing sub-rule (1) of rule as mentioned in Column No.4 against each of the Service rules as mentioned in Column No.2 of the Schedule appended hereto, the following new sub-rule shall be added, namely :-

"(1A) No person shall be considered for promotion for 5 recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after Ist June, 2002."

Though the said circular does not speak about the deference of ACP on account of birth of third child after the cut off date but parity is sought to be drawn by the respondents in grant of ACP and promotion as being analogous actions. If a person is given the benefit of ACP rather than the benefit of promotion, both would have the same financial implication. Indisputably the petitioner has been inflicted with one punitive action of deferment of ACP for a period of 5 years because of the fact that he fathered a

third child after 1.6.2002. Having been penalised in this manner once, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause by denying him opportunity to join on the promotional post. Furthermore, the restriction which is imposed in the circular dated 20.6.2001 is to the effect that a Government employee shall be deferred by 5 recruitment years for promotion from the date to which promotion becomes due if he/she has more than two children on or after 1.6.2002. Thus, the restriction is on the consideration for promotion. In the case at hand, the petitioner has already been considered for promotion and had also been given the benefit thereof by the DPC convened for this purpose against the vacancies of 2014-2015 by order dated 30.5.2015. Thus, it has to be presumed that the entire service record of the petitioner must have been placed before the DPC which recommended the petitioner's promotion. The subsequent order Annex.5 which is impugned in the writ petition was issued by the Principal of the School directing the petitioner would not be entitled to be relieved despite his promotion. Such an action is grossly arbitrary and illegal. The benefit of promotion having been conferred upon the petitioner, as per his entitlement there was no justification with the respondents to deny him permission to join on promotional post. Therefore, the impugned order is totally perverse and arbitrary.

6. प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि पदोन्नति एवं एसीपी दो प्रथम विषय है। पदोन्नति कार्मिक विभाग का विषय है एवं एसीपी के संबंध में आदेश/अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी की जाती है। अधिकरण का ध्यान वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.08.2015 की तरफ आकर्षित किया है, जो नियमानुसार है :–

Sub:- Grant of Assured Career Progression to State Service Officers under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 31-12-2009, the existing item (iii) of sub para (7) of para 2 shall be substituted by the following, namely:-

"The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 5 years from the date on which his ACP is become due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01-06-2002 does not increase."

This order shall come into force with immediate effect.

7. उक्त मेमोरेण्डम के प्रावधान तत्काल प्रभाव अर्थात् 06.10.2015 से प्रभावी किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ 06.10.2015 से देय होगा।

8. अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग का आदेश दिनांक 07.05.2014 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ प्रत्यर्थी विभाग वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 की अनुपालना में स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावें। उक्त कार्यवाही 2 माह की अवधि में करना सुनिश्चित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)